54

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R- 3755-I16

1. गुलई अहिरवार तनय गुमान अहिरवार
2. श्रीमति पार्वती पत्नि गुलई अहिरवार
   निवासी ग्राम पामाखेडी तह. व जिला सागर .....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्र 501/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 20/10/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पामाखेडी स्थित भूमि खसरा क्र 842 रकवा 0.79 हे भूमि आवेदकगण को शासन से प्राप्त भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति हेतु एक आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको कलेक्टर सागर द्वारा मनमाने तौर पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किए है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, कलेक्टर सागर के समक्ष आवेदकगण द्वारा अपना आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उनकी कोई संतान नहीं है तथा वृद्व है जिस कारण से वह लगातार बीमार चल रहे तथा उनको अपने इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता है एंव वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति खराब है जिस कारण से वह अपना ठीक तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे है परंतु कलेक्टर सागर द्वारा उक्त पर कोई ध्यान ना दिए बिना अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिसको स्थावत् रखकर अपर आयुक्त सागर द्वारा विधिक भूल की है जिस कारण से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

94251-71223

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3755/16 जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-11-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 501/अ–21/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 20/10/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि ग्राम पामाखेडी स्थित खसरा क्र 842 रकवा 0.79 हे भूमि शासन से बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। आवेदकगण द्वारा ग्राम पामाखेडी स्थित उक्त प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से तहसीलदार सागर को प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया तथा तहसीलदार सागर द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से कलेक्टर सागर को प्रेषित किए जाने के उपरांत भी कलेक्टर सागर द्वारा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदाय नहीं की गयी है तथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे भी अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया है।उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा जो ग्राम पामाखेडी स्थित प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदकगण निसंतान	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के ह...
	है तथा कभी समय से बीमार चल रहे है। अर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह अपना ठीक तरीके इलाज नहीं करा पा रहे है जिस कारण से वह प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर कम मूल्य की अन्य कृषि योग्य भूमि क्रय कर सकेगें। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने के उपरांत उसके स्थान अन्य कृषि योग्य भूमि क्रय करेगा जिस कारण से वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आयेगा। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 5— आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है जो कि उनको बजरिए वसीयतनामा प्राप्त हुई है तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर दर्ज है। संहिता की धारा 158 की उपधारा 3 के प्रावधान अनुसार 10 वर्श उपरांत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते है तथा आवेदक क्र 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर आवेदकगण उतने व उससे अधिक रकवा की अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगें इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 20/10/16 एंव कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 28/04/15 निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण को ग्राम पामाखेडी में स्थित खसरा क्र 842 रकवा 0.79 हे को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित	

-4-

R 3755-I 116 ...

... तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	